



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

13 भाद्र 1942 (श10)
(सं0 पटना 533) पटना, शुक्रवार, 4 सितम्बर 2020

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

4 सितम्बर 2020

एस० ओ० 161 दिनांक 4 सितम्बर 2020—बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2019 (बिहार अधिनियम 21, 2019) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल 01 सितम्बर, 2020 को उस तारीख के रूप में नियत करते हैं, जिसको बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2019 (बिहार अधिनियम 21, 2019) की धारा 10 के उपबंध प्रवृत्त होंगे।

[(सं०सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध21/2017-(खंड-9)1582)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

4 सितम्बर 2020

एस० ओ० 161 दिनांक 4 सितम्बर 2020 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध21/2017-(खंड-9)1582)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

The 4th September 2020

S.O. 161, Dated 4th September 2020—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Bihar Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2019 (Bihar Act 21, 2019), the Governor of Bihar hereby appoints the 1st day of September, 2020, as the date on which the provisions of section 10 of the Bihar Goods and Services Tax (Amendment) Act, 2019 (Bihar Act 21, 2019), shall come into force.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-9) 1582)]

By the order of Governor of Bihar,

Dr. Pratima,

Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 533-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>